गया है तथा राज्यपाल का यह व्यवहार होना चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन के लिए सबसे बड़े दल को बुलाये यही हमारा मत है और यही रहेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने इसके लिए प्रयास किया था क्योंकि उन्हें उन दलों का साथ लेकर चलने का कठिन कार्य करना है जिनके साथ वे आज बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल भाजपा को शासन करने से वंचित करने के लिए अनुच्छेद 356 लागू करके अनुचित कार्य किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने यही शब्द कहे हैं: भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौती है, वह आज उत्तर प्रदेश मे परिलक्षित हो रही है और बुद्धिमता की कमी, अदूरदर्शिता तथा संकीर्ण राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण हम अपनी कठिनाइयों को बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं। मैं अप्रसन्न हूं, चूंकि मैं अप्रसन्न हूं अतः मैं समर्थन नहीं दे सकता। हमारे बारे में जनता फैसला करेंगी और निश्चित रूप से करेगी। यह राजनैतिक रूप से एकपक्षीय रहने वाला मुद्दा नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल और इन दलों द्वारा समर्पित वर्तमान सरकार, जो इसमें पहले कमियां पाते थे, इस चुनौती का सामना करने में विफल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के प्रति मौजूदा चुनौती का सामना करने में विफल रहे हैं और भाजपा को सरकार बनाने के उसके उचित अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

हम सभा में इस झूठी मतदान प्रक्रिया के पक्ष में नहीं हो सकते। इसलिए मैं सभा से बाहर जाता हूं।

अपराह्न 5.34 बजे

इस समय श्री जसवंत सिंह और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, आपकी अनुमति से ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमें पहले संकल्प को स्वीकार करना चाहिए और फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, वे केवल कुछ मुद्दों को स्पष्ट करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव परिणामों की अन्तिम रूप से घोषणा चुनाव आयोग द्वारा 10 अक्तूबर को की गई थी। राज्यपाल ने सभी सम्भावनाओं का पता लगाकर 17 अक्तूबर तक उनके पास लाने के लिए तथाकथित एकमात्र सबसे बड़े दल सहित सभी राजनैतिक दलों को पर्याप्त अवसर दिया था कि क्या वे सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाकर स्थायी सरकार बना सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने के लिए एक सप्ताह तक इन्तजार किया। महोदय, वे पूर्णतः विफल रहे हैं।

कोई भी राजनीतिक पार्टी स्वयं अथवा अन्य राजनीतिक पार्टियों के मेल से वांछित संख्या प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकती थी। वे राज्यपाल को सूची भेजने में असमर्थ रहे थे। तत्पश्चात् राज्यपाल के पास भारत सरकार और भारत के राष्ट्रपति के पास अपनी सिफारिशें भेजने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था।

हाल ही में, राज्य सभा के लिए उप-चुनाव करवाये गये थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भरसक प्रयास किया कि उनके उम्मीदवार चुनाव जीत जायें। भारतीय जनता पार्टी के सभी तीन उम्मीदवार राज्य सभा चुनाव हार गये। यह बात स्वयं इस बात की स्पष्ट सूचक है कि उत्तर प्रदेश में जनादेश धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए था और हमारे दल की वचनबद्धता भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रति है। यह इस बात का स्पष्ट सूचक है।

महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम सभी में, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो अथवा समाजवादी पार्टी अथवा कांग्रेस अथवा कोई अन्य दल, मतभेद होने के बावजूद भी सरकार को चला रहे हैं उनमें मतभेद है-हाल ही के राज्य सभा के उप-चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सभी तीनों उम्मीदवार हार गये थे। यह स्वयं इस बात का सूचक है और उससे भी अधिक यह कि यह एक प्रकार का गुप्त मतदान था, जिसमें वह सभी प्रकार की राजनीतिक दावपेंच चल सकते थे। महोदय, इन सभी बातों के होते हुए भी वे असफल हो गये। उप-चुनाव की अवधि के दौरान क्या कुछ हुआ, मैं वह सब जानता हूं। वे वांछित संख्या प्राप्त करने में असमर्थ थे। यह स्वयं इस बात का स्पष्ट सूचक है कि राज्यपाल ने जो सिफारिश की थी, वह आधारपूर्ण थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अतः, मैं इस महान सभा से इस संकल्प को स्वीकृति अनुमोदित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा उत्तर प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 17 अक्तूबर, 1996 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।